**संख्या-213/2015/2262जेएल/22-3-15-800(06)/2015**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
कन्नौज।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2015***

**विषय-** केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी अय्याज हुसैन पुत्र मो0 शफी, निवासी-ग्राम-अहमदपुर रौनी, थाना-कन्नौज, जिला-कन्नौज को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के बंदी अय्याज हुसैन पुत्र मो0 शफी, निवासी-ग्राम-अहमदपुर रौनी, थाना-कन्नौज, जिला-कन्नौज को शासनादेश संख्या-151/2015/1313जेएल/22-3-15-800(06)/2015, दिनांक 27-05-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**संख्या-213/2015/2262जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in